संख्या यू-16011/1/2020-पीएंडसी

भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक 20 नवंबर, 2023

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा 1 और 2 तथा धारा 19 की उप-धारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में और इस संबंध में जारी पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता मामले विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषय के संबंध में सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है:

क्रम सं.	सीपीआईओ	अनुभाग/डेस्क/यूनिट	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
1.	श्री सुभाष चंद्र मीणा, निदेशक	ईसीआर एंड ई मूल्य निगरानी प्रभाग	डॉ. कामखेनथांग गुइटे, आर्थिक सलाहकार
2.	श्री के. चंद्र सिंघा, निदेशक	आईएफडी और बजट	सुश्री जेनी कीलौंग, सीसीए
3.	श्री आशुतोष अग्रवाल, उप निदेशक	विधिक मापविज्ञान/बाट एवं माप	श्रीमती निधि खरे, विशेष सचिव
4.	श्री प्रमोद कुमार साहू, उप सचिव	बीआईएस	श्री विनीत माथुर, संयुक्त सचिव
5.	श्री एस.के. मिश्रा, उप सचिव	सीपीयू (कॉन्फोनेट, एनसीएच और ई-दाखिल को छोड़कर) प्रचार	श्री अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव
6.	श्री जितेन्द्र अहलावत, उप सचिव		श्री विनीत माथुर, संयुक्त सचिव
7.	सुश्री स्वरूपा सरन, उप सचिव	उपभोक्ता कल्याण कोष	श्री अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव
8.	श्री अमन जैन, निदेशक	पी एंड सी सहकारिता	श्री शशि भूषण, सलाहकार (लागत)
		राजभाषा	डॉ. कामखेनथांग गुइटे, आर्थिक सलाहकार
9.	डॉ. ए.बी.एस. शालिनी, उप सचिव	एनसीएच, ई-दाखिल	श्री अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव
		राष्ट्रीय परीक्षण शाला स्थापना	श्री विनीत माथुर, संयुक्त सचिव

10.	श्री रमेश सिंह, उप सचिव	संप्रतीक एवं नाम	श्री विनीत माथुर, संयुक्त सचिव
		लोक शिकायत	
		सामान्य प्रशासन	
11.	श्री टी.आर. सतीश चंद्रन, संयुक्त	ओ एंड एम	श्री शशि भूषण, सलाहकार
	निदेशक (लागत)	लागत	(लागत)
		आरटीआई प्रकोष्ठ	
		सतर्कता	श्री विनीत माथुर, संयुक्त सचिव
12.	श्रीमती जयलक्ष्मी कन्नन, अवर सचिव	रोकड़	सुश्री जेनी कीलौंग, सीसीए

- 2. किसी भी सीपीआईओ के तीन दिन से अधिक के अवकाश पर होने या पद रिक्त होने की स्थिति में, उसके लिंक अधिकारी द्वारा सीपीआईओ के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। किसी भी अपीलीय प्राधिकारी के एक सप्ताह या उससे अधिक के लिए अवकाश होने की स्थिति में लिंक अधिकारी उस विशिष्ट अविध के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। सीपीआईओ और एफएफए, अपने आईडी और पासवर्ड अपने लिंक अधिकारियों के साथ साझा करेंगे। सीपीआईओ द्वारा प्रत्येक तिमाही के अगले माह की 15 तारीख तक प्रत्येक तिमाही के लिए, तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- 3. सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी की अनुपस्थित में, विषय को संभालने वाले संबंधित अनुभाग अधिकारी/अनुभाग/डेस्क प्रभारी/सहायक निदेशक, आरटीआई से संबंधित मामलों को ऐसे मामले के निपटान के लिए सीधे संबंधित लिंक अधिकारी को भेजेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका निपटान वैधानिक रूप से निर्धारित समय-सीमा पर हो और तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। सभी सीपीआईओ और एफएफए इस आदेश के प्राप्त होने पर तुरंत आरटीआई आवेदनों/अपीलों का निपटान करेंगे।
- 4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(टी.आर. सतीश चंद्रन) संयुक्त निदेशक (लागत)

दूरभाष: 23384390

ई-मेल:schandran.73@nic.in

सेवा में: उपर्युक्त सूची के अनुसार सभी सीपीआईओ एवं अपीलीय प्राधिकारी

प्रति:

1. सचिव (उ.मा.) के पी.एस.ओ./विशेष सचिव (उ.मा.) के विरष्ठ प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (उ.मा.) के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (वी.एम.) के निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव/सलाहकार (लागत) के निजी सचिव/सीसीए के प्रधान निजी सचिव।

2. उपभोक्ता मामले विभाग के सभी अधि कारी/अनुभाग > *ई-ऑफिस केएमएस*

3. निदेशक (आईआर), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

4. रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनरिका, नई दिल्ली।

- 5. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) [सुविधा काउन्टर पर लगे प्रदर्श पटल में आवश्यक संशोधन करने के अनुरोध सहित]
- 6. आदेश को इस विभाग की वेबसाइट पर जल्द से जल्द अपलोड करने हेतु निदेशक, (एनआईसी), कमरा नं0 546 बी, कृषि भवन।

7. सूची के हिन्दी अनुवाद के लिए सहायक निदेशक (राजभाषा) को (uspc-ca@nic.in) हेतु।

फोल्डर और गार्ड फाइल में रखने हेतु अतिरिक्त प्रतियां।

(टी.आर. सतीश चंद्रन) संयुक्त निदेशक (लागत)

दूरभाष: 23384390

ई-मेल:schandran.73@nic.in

